यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

UGRO CAPITAL

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

पूर्व बिक्री सूचना वापस लेने की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस समाचार पत्र में 07–03–2026 को तरुण पेट विला (ऋण खाता सं. UGDELSS0000058839) के खाते के संबंध में पूर्व प्रकाशित बिक्री नोटिस। उक्त खाते के संबंध में 11.03.2026 को प्रकाशित निजी संधि रद्द कर दी गई है और उसे अमान्य घोषित कर दिया गया है।"
सभी संबंधित पक्षों को इस पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 12.03.2026,

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या-201/202, एससीओ-19, सरस्वती विहार, एमजी रोड, चक्करपुर, गुड़गांव-122016 प्राधिकृत अधिकारीः आरआरएमः रवि शंकर - 9999735552 सीएलएमः श्री मुकुल शर्मा, संपर्क संख्याः 8285415168, एएलएम - प्रमोद चंद- 9990338759, सीआरएमः नवीन खटाना - 9555882099

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एचएचएफएल को प्रभारित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री
एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति एचएचएफएल को उसके बकाया की वसूली हेतु "जहां है, जैसा है" और "जो है, जैसा है" के आधार पर सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: 1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहां है, जैसा है" और "जो है, जैसा है" के आधार पर होगी। 2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए HHFL के प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके बाद 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। 4. उपरोक्त खंड (2) के तहत अपेक्षित राशि का भुगतान न करने पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। 5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता को इस संबंध में बाद में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। 8. HHFL बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9. एक से अधिक प्रस्ताव होने की स्थिति में, HHFL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।10. इच्छुक पक्ष आगे की जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए तथा अपना आवेदन 25.03.2026 तक या उससे पहले जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया 28.03.2026 को समाप्त होगी। 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य व्यय, कर, शुल्क वहन करने होंगे। 12. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

संपत्ति का अनुसूची विवरण (सुरक्षित संपत्ति): संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि क्षेत्रफल 63 वर्ग गज, 13.5 फीट X 43 फीट, खेवट/खाता संख्या 531 में शामिल, मुस्तकिल नं. 35, किला नं. 5/2(4–0), किता 1 रकबा 4 कनाल 0 मार्ला शेयर 20/720 यानी रकबा 0 कनाल 2 मार्ला 2 सरसाई कुल भूमि क्षेत्रफल 63 वर्ग गज, वाका सिवाना मोजा कादीपुर, गुड़गांव, हरियाणा–122001 ऋण संख्या GR/KAP/KUNJ/A000000523 & CO/CPC/CPOF/A000003720	आरक्षित मूल्यः रु. 30,25,000/– (रु. तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)

दिनांक : 12-03-2026 स्थान : हरियाणा — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

Hero FINCORP

CIN: U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057दूरभाषः 011–49487150, फैक्सः 011–49487197, 011–4948719798, ईमेलः litigation@herofincorp.com , वेबसाइटः www.herofincorp.com

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) , एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली,2002 की धारा 13 की उप धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 23.12.2025 जारी कर ऋणधारको

1. **श्री अंश हैंडलूम (ऋणधारक)**, कार्यालयः फैक्ट्री 40 गुना 60 फुट गली नं. 6, इंडो वूल टैक्स के सामने, सेक्टर 25 पार्ट 2 के पास, पानीपत, हरियाणा–132103;
2. **श्री नंद राम (सह–ऋणधारक)**, निवासीः फैक्ट्री 40 गुना 60 फुट गली नं. 6, इंडो वूल टैक्स के सामने, सेक्टर 25 पार्ट 2 के पास, पानीपत, हरियाणा–132103,
3. **श्रीमती राधा मौर्य (सह–ऋणधारक)**, निवासीः फैक्ट्री 40 गुना 60 फुट गली नं. 6, इंडो वूल टैक्स के सामने, सेक्टर 25 पार्ट 2 के पास, पानीपत, हरियाणा–132103

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर रु **2,51,54,794.18 (दो करोड़ इक्यावन लाख चौवन हजार सात सौ चौरानवे रुपये और अठारह पैसे मात्र)**, जो 23.12.2025 तक देय थी, साथ ही लागू ब्याज और अन्य शुल्कों वापस लौटने का निर्देश दिया थो
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13की उप–धारा (4) के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है
विशेष रूप से ऋणधारकों और आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 11.08.2025 तक देय राशि **रु 2,51,54,794.18 (दो करोड़ इक्यावन लाख चौवन हजार सात सौ चौरानवे रुपये और अठारह पैसे मात्र)**, जो 23.12.2025 तक देय थी, तथा लागू ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए एचएफसीएल के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

अचल संपत्ति/सुरक्षित आस्तियों का विवरण इस प्रकार है:

प्लॉट/संपत्ति आईडी सं.: 1GQNJYQ2; क्षेत्रफल: 1000 वर्ग गज अर्थात 1 कनाल 13 मरला 1 सरसई , जो कि 47 कनाल 17 मरला में से 298/8613 हिस्सा है। ; रेक्ट नंबर 80, किला नं. 5(6–2), 6(8–0), 15(7–7); रेक्ट नं. 81, किला नं. 1/1 (5–16), 9(7–5), 10(8–0), 12/1 (5–7) किते–7,जो पत्त मखदूमजादगन, पानीपत आबादी गांधी नगर, कुटानी रोड पानीपत, तहसील और जिला पानीपत में स्थितः है। सीमाएं: उत्तरः 80–0 रास्ता, दक्षिणः 80–0 रास्ता, पूर्व : 112–5 सोमनाथ की संपत्ति, पश्चिमः 112–5 सोमनाथ की संपत्ति

स्थानः पानीपत
दिनांकः 09.03.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

फेडरल बैंक

एलसीआरडी डिवीजन/नई दिल्ली
यू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन नं. 011–40733980, 40733978
ई–मेलः ndllcrd@federalbank.co.in
CIN:L65191KL1931PLC000368

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना

(1) श्री/श्रीमती अजीत सिंह, पुत्र नंद किशोर,
(क) गली संख्या 22, सरदारपुर सेक्टर 45, नोएडा सेक्टर 47, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201303,
(ख) गली संख्या 22, सरदारपुर सेक्टर 45, नोएडा सेक्टर 47, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201301

आपने फेडरल बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय अलुवा में है (जिसे आगे बैंक कहा गया है), की नोएडा शाखा के माध्यम से 22–04–2025 को ऋण क्रमांक 13407400005684 के तहत 16,17,747/– रूपये (सोलह लाख सत्रह हजार सात सौ सैंतालीस रूपये मात्र) का फेडरल पर्सनल कार लोन लिया है,ताकि बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समझौतों/ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद एक नई कार खरीदी जा सके।
बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए, आपने निम्नलिखित चल संपत्ति के संबंध में दृष्टिबंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया है।

बंधक चल संपत्तियों का विवरण

महिंद्रा थार रॉक्स एमएक्स5 डी एमटी आरडब्ल्यूडी बीएस VI, जिसका चेसिस नंबर MA1UN2YY2S2D12441, इंजन नंबर YYS4C42114, 2025 मॉडल, डीजल, रंग A3EVRSTMBK और पंजीकरण नंबर UP 16 EX 9317 है, का गिरवी रखा जाना।

उपरोक्त गिरवी रखी गई संपत्ति को इसके बाद ''सुरक्षित परिसंपत्ति'' कहा जाएगा।
मैं, फेडरल बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, आपको सूचित करता हूं कि आपके फेडरल पर्सनल कार लोन (नंबर 13407400005684) के तहत, जो बैंक की नोएडा शाखा में पंजीकृत है, दिनांक 15–02–2026 तक आपसे कुल 15,15,665.29/– रूपये (पंद्रह लाख पंद्रह हजार छह सौ पैंसठ रूपये और उनतीस पैसे मात्र) देय है।
पुनर्भुगतान में चूक के मद्देनजर, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आपके ऋण खाते/खातों को 13.02.2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आपसे कहा जाता है कि आप उक्त राशि को ऊपर उल्लिखित दर पर भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त/जुर्माना शुल्क और लागतों के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा कराएं, ऐसा न करने पर बैंक आपके और उपर्युक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि उन पर कब्जा लेना जिसमें पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है, या आपको कोई और नोटिस दिए बिना बकाया राशि वसूलने के लिए सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना शामिल है।
यह सूचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से स्थानांतरित नहीं करेंगे। यदि आप अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहते हैं और बैंक ऊपर बताए अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करता है, तो आप बैंक को उस संबंध में किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि बकाया राशि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक बिना किसी अतिरिक्त सूचना के शेष राशि की वसूली के लिए आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करेगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों (सुरक्षा संपत्तियों) को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान भी आकर्षित किया जाता है।
यह नोटिस बैंक को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है।
यह नोटिस 20 फरवरी,2026 को जारी किया गया था और आपको इसकी सेवा दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको यह प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता है।

आज दिनांक 10 मार्च 2026

कृते दि फेडरल बैंक लिमिटेड, (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
शाखा कार्यालय– तीसरी मंजिल प्लॉट नंबर सी 171/2, सेक्टर 15, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश – 201301

परिशिष्ट IV
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें)
कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता रेखा भाटी और राज भाटी को** मांग सूचना दिनांक 22.12.2025 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 49,07,501.00 (रु. उनचास लाख सात हजार पाँच सौ उक मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **10 मार्च 2026** को लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते **रु. 49,07,501.00 (रु. उनचास लाख सात हजार पाँच सौ उक मात्र) और उस पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

रिहायशी प्लॉट नं. 326 का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सेक्टर–ओमिक्रॉन – 3, भूमि माप 112.50 वर्ग मीटर, ग्रेटर नोएडा, जिला, गौतम बुध नगर उत्तर प्रदेश 201310 और सीमाएं: पूर्वः मकान नं. 327 पश्चिमः मकान नं. 325 उत्तरः 9.00 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिणः मकान संख्या 345.

दिनांकः 10.03.2026,
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड

(पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्व)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई–600018
प्रधान कार्यालय : लेवल 3, वोकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों से उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी।
कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10–03–2026 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ट्रूहोम फाइनैसस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) की नीचे वर्णित बकाया राशि + ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम और पता

श्री साबिर खान पुत्र श्री नसरुद्दीन खान
मकान नंबर 749/1, बीसा भूड़ नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203001
अन्य पता : मकान/प्लॉट नंबर 3, ग्राम–मऊखेड़ा, जिला– बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश –203001.
श्रीमती नजरीन पत्नी साबिर खान, मकान नंबर 749, बीसा भूड़ नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203001
अन्य पता : मकान/प्लॉट नंबर 3, ग्राम–मऊखेड़ा, जिला– बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश –203001

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि

ऋण खाता संख्या **SLPHGPRK0002988** के संबंध में 09 जून 2025 तक बकाया राशि रु. 34,99,576/– (रूपये चौंतीस लाख निन्यानवे हजार पांच सौ छिहत्तर मात्र) और और **SLPHGPRK0003388** के संबंध में 09 जून 2025 तक बकाया राशि रु. 3,32,549/– (रूपये तीन लाख बत्तीस हजार पांच सौ उनचास मात्र)
मांग सूचना दिनांक – 16–06–2025
भौतिक कब्जा की तिथि – 10–03–2026, एनपीए तिथि – 03–06–2025

बंधक सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति आवासीय मकान/प्लॉट नंबर 3, खेत संख्या 391 का अंश, क्षेत्रफल परिमाप 180 वर्ग गज, जो गांव–मऊखेड़ा, परगना बरन, तहसील और जिला– बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उक्त संपत्ति की चौहद्दी :– पूर्व : श्रीमती संध्या की संपत्ति, पश्चिम : प्लॉट नंबर 4, उत्तर : 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : अशोक सिंघल की संपत्ति

स्थान : बुलंदशहर
तिथि : 10–03–2026

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी– ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से मशहूर)

फेडरल बैंक

एलसीआरडी डिवीजन/नई दिल्ली
यू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2/2
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन नं. 011–40733980, 40733978
ई–मेलः ndllcrd@federalbank.co.in
CIN:L65191KL1931PLC000368

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना

(1) श्री/श्रीमती प्रेमवती, पत्नी सुख लाल, मकान नंबर 540, एम.बी. पब्लिक स्कूल, दयाल नगर, सेक्टर–27/सी, अमरनगर, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
आपने फेडरल बैंक लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अलुवा में है (जिसे आगे बैंक कहा गया है), से फरीदाबाद स्थित उसकी शाखा के माध्यम से 23–11–2023 को 5,95,786/–रूपये (पांच लाख पचानवे हजार सात सौ छियासी रूपये मात्र) का फेडरल पर्सनल कार लोन (संख्या 13817400004547) लिया है, ताकि बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समझौतों/ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद एक नई कार खरीदी जा सके।
बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए, आपने निम्नलिखित चल संपत्ति के संबंध में दृष्टिबंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया है।

बंधक चल संपत्तियों का विवरण

मारुति वैगन आर एलएक्सआई सीएनजी बीएस वीआई, रंग–मैग्मा ग्रे, चेसिस नंबर MA3JMTB1SPLA03206, इंजन नंबर K10CNC466693, 2023 मॉडल, पेट्रोल/सीएनजी, पंजीकरण संख्या HR 87 N 3327 का दृष्टिबंधक।

आपने अपने असुरक्षित ऋण खाते/क्रेडिट कार्ड (क्रेडिट कार्ड खाता संख्या 0007943030001968454) का भुगतान समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित असुरक्षित ऋण खाता/क्रेडिट कार्ड गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गया है। तदनुसार, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपरोक्त सुरक्षित ऋण भी गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हो गया है।
फेडरल बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, मैं आपको सूचित करता/करती हूं कि फरीदाबाद शाखा में पंजीकृत आपके फेडरल पर्सनल कार लोन (संख्या 13817400004547) के तहत 15–02–2026 तक आप पर कुल रू.3,57,574/– (तीन लाख सत्तावन हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये मात्र) बकाया है। पुनर्भुगतान में चूक के मद्देनजर, आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आपके ऋण खाते/खातों को 05.11.2025 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आपसे कहा जाता है कि आप उक्त राशि को ऊपर उल्लिखित दर पर भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त/जुर्माना शुल्क और लागतों के साथ इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा कराएं, ऐसा न करने पर बैंक आपके और उपर्युक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसे कि उन पर कब्जा लेना जिसमें पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है, या आपको कोई और नोटिस दिए बिना बकाया राशि वसूलने के लिए सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना शामिल है।
यह सूचित किया जाता है कि आप बैंक की लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से स्थानांतरित नहीं करेंगे। यदि आप अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहते हैं और बैंक ऊपर बताए अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करता है, तो आप बैंक को उस संबंध में किए गए सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि बकाया राशि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री आय से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक बिना किसी अतिरिक्त सूचना के शेष राशि की वसूली के लिए आपके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करेगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों (सुरक्षा संपत्तियों) को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आपका ध्यान भी आकर्षित किया जाता है।
यह नोटिस बैंक को अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है।
यह नोटिस 23 फरवरी,2026 को जारी किया गया था और आपको इसकी सेवा दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको यह प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता है।

आज दिनांक 10 मार्च 2026

कृते दि फेडरल बैंक लिमिटेड, (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण– II, दिल्ली के समक्ष

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

ओए संख्या 313/2024 — तिथिः 24.02.2026
इंडसइंड बैंक लिमिटेड — आवेदक
बनाम
श्री श्याम एंट. और अन्य — प्रतिवादी
प्रति,
प्रतिवादी
डी 1. **श्री श्याम एंटरप्राइजेज** अपनी प्रोप. सुश्री रेणु डायलानी प्लॉट नंबर 683बी सैनी विहार मुंडका नई दिल्ली–41 के माध्यम से
डी 2. **सुश्री रेणु डायलानी** निवासी ए–21 पुंडरीक विहार पीतमपुरा दिल्ली– 34
डी 3. **श्री विनय कुमार भाटिया** निवासी हाउस नंबर 928 जियाम खाना क्लब रोड सेक्टर 9 बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा

जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध 1,17,12,324.36 **रुपये (एक करोड़ सत्रह लाख बारह हजार तीन सौ चौबीस और छत्तीस पैसे मात्र)** की वसूली के लिए मामला दाखिल किया है और जबकि यह न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी तामील करना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस विज्ञापन द्वारा आपको न्यायाधिकरण के समक्ष 30.07.2026 को सुबह 11:00 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
ध्यान दें कि उपर्युक्त दिन पर उपस्थित होने में आपकी विफलता के मामले में, आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा।

सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक माध्यम से की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए:–

(i) सभी अधिवक्ता/वादी "**सिस्को वेबेक्स**" एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(ii) पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" डीआरटी आधिकारिक पोर्टल "drt.gov.in" पर दैनिक वाद सूची में ही प्रदर्शित किया जाएगा
(iii) किसी भी अत्यावश्यकता में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 24 फरवरी, 2026 को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
अनुभाग अधिकारी डीआरटी–II, दिल्ली

सिद्ध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L65999DL1985PLC019846
रजिस्टर्ड ऑफिस – ई – 253, सरस्वतीकुंज अपार्टमेंट्स 25, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज नई दिल्ली – 110092, फोनः +011–22731509
ईमेलः info@sidhmanagement.in वेबसाइटः www.sidhmanagement.in

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन की सुविधा के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की विशेष विंडो खुली रहेगी।
उक्त विशेष विंडो उन ट्रांसफर अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पहले जमा किए गए थे लेकिन दस्तावेजों की कमी, प्रक्रिया में त्रुटि या अन्य कारणों से अस्वीकृत / वापस कर दिए गए / या उन पर कार्यवाही नहीं हो सकी थी।
इसके अलावा, इस प्रकार ट्रांसफर की गई प्रतिभूतियाँ अनिवार्य रूप से ट्रांसफरी के डीमैट खाते में ही जमा की जाएंगी साथ ही, इन प्रतिभूतियों पर ट्रांसफर के पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष की लॉक–इन अवधि लागू होगी। उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों को न तो ट्रांसफर/लियन मार्क /गिरवी रखा जा सकेगा।
इस विशेष विंडो की प्रयोज्यता संदर्भित सेबी परिपत्र में स्पष्ट की गई है, जो निवेशकों के लिए इस नोटिस के साथ कंपनी की वेबसाइट https://www.sidhmanagement.in/ पर उपलब्ध है।
योग्य निवेशकों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए समय के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स एड्रोइट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से उनके ऑफिस : 19–20 जफरभॉय इंडस्ट्रियल एस्टेट, मकवाना रोड, मरोल, अंधेरी (इ), मुंबई 400 059 टेलीः 022–42270400 फैक्सः 022–28503748 ईमेलः info@adroitcorporate.com में संपर्क करें।
शेयरहोल्डर्स से यह भी अनुरोध है कि अगर शेयर डीमैट फॉर्म में हैं, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपनी केवाईसी विवरण, जिसमें पेन, ईमेल आइडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण शामिल हैं, अपडेट करें, या अगर शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आरटीए के साथ अपडेट करें।
इसके अलावा, शेयरहोल्डर्स हमसे info@sidhmanagement.in पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते सिद्ध मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता/– प्रदीप सोनी
कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
एम. नं. ए25181

तिथिः 10.03.2026
स्थानः नई दिल्ली

SHRI NIWAS Leasing & Finance Ltd.

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED

CIN: L65993DL1984PLC019141
Registered office: 47/18, Rajendra Place Metro Station, New Delhi-110060, Delhi, India
Contact No.: Mr. Ravi Kumar Dhaker, Company Secretary and Compliance Officer
Telephone No.: +91-9891709895; **Email Id:** shriniwas.limited@gmail.com;
Website: www.shriniwasleasingfinance.in

NOTICE FOR RECORD DATE AND FIRST AND FINAL CALL TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: IN9201F01013) OF SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED AS ON THE RECORD DATE, I.E., MARCH 06, 2026

This is to inform that the Rights Issue Committee of the Company, at its meeting held on February 27, 2026, has fixed Friday, March 06, 2026, as the Record Date for the purpose of determining the holders of the Partly Paid-up Equity Shares of the Company and approved making of the First and Final Call of Rs.5/- on the outstanding 3,99,70,000 Partly Paid-up Equity Shares of the Company having a Face Value Rs. 10/- each with Rs. 5/- paid-up ("Rights Equity Shares") which were allotted on April 09, 2025, on Rights Basis pursuant to the Letter of Offer ("LOF") dated February 20, 2025. The same was intimated to the Stock Exchange on February 27, 2026.

In terms of the provisions of the Companies Act, 2013 (Act), read with the relevant rules made thereunder, First and Final Call Notice along with the detailed instructions and ASBA form has been sent in electronic mode to all the Eligible Shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company or RTA or the Depository Participant(s) as on the Record Date i.e., Friday, March 06, 2026, and physical copy of the same has also been sent vide permitted mode of dispatch at the registered address of those shareholders who have not registered their email address on Tuesday, March 10, 2026.

The First and Final Call Money Notice along with the Detailed Instructions and ASBA Application Form are also available on the following websites:

Company website	www.shriniwasleasingfinance.in
RTA website	www.skylinerta.com
BSE website	www.bseindia.com

Accordingly, the First and Final Call Notice has been duly served in the manner detailed herein below:

First and Final Call Money Payment period (Both day inclusive)	From	To	Duration
	Wednesday, March 25, 2026	Wednesday, April 08, 2026	15 Days
Mode of Payment	a) Online ASBA	Through the website of the SCSBs*	
	b) Physical ASBA	By submitting physical application to the Designated Branch of SCSBs*	
	c) Online	Using the 3-in-1 online trading-dematbank account whenever offered by brokers	

*Please visit https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=35 to refer to the list of existing Self-Certified Syndicate Banks (SCSBs)

In accordance with SEBI Circular no, SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020 dated December 08, 2020, shareholders can also make call money payment by using the facility of a linked online trading-demat-bank account (3-in-1 type accounts) provided by registered brokers. To avail this facility, shareholders must login to their demat account and choose the name of the company "**SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED**" and further click on the option to "Make Call Money Payment" and proceed accordingly. Shareholders are advised to check with their respective brokers for the exact process to be followed. Shareholders may note that this payment method can be used only if the concerned broker has made the facility available to their customers. The Company or the Registrar will not be responsible for non-availability of this payment method to the shareholders.

BSE vide circular dated March 04, 2026 have issued notices for suspension of trading in ISIN IN9201F01013 representing Partly Paid-up Equity Shares of the Company comprising of Rs 5/- (Rupees Five Only) with effect from March 06, 2026 (i.e., closing hours of trading on March 05, 2026) and accordingly the ISIN IN9201F01013 with Scrip Code 890213 and Symbol SNLFPP representing Partly Paid-up Equity Shares has been suspended.

Upon completion of the corporate action, the Partly Paid-up Equity Shares shall be converted into Fully Paid-up Equity Shares and would be credited to ISIN INE201F01015, subject to receipt of requisite approvals.

All correspondence in this regard may be addressed to:
Skyline Financial Services Private Limited
Address: D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
Contact Person: Mr. Anuj Rana
Tel No.: 91-11-40450193-97, 011-26812682-83
Fax No.: +91-11-26812682
Email: ipo@skylinerta.com
Website: www.skylinerta.com

For Shri Niwas Leasing and Finance Limited
Sd/-
Rajni Tanwar
Managing Director
DIN: 08201251

Date: March 10, 2026
Place: New Delhi

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

HDB FINANCIAL SERVICES

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा ''जो भी वहाँ है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. कर्जदार/रों एवं जमानती/यों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी
1. श्री लक्ष्मीनाथ पल्सेज बाबा रामदेव रोड, सुजानदेसर, बीकानेर, राजस्थान – 334004 एवं साथ ही– श्री लक्ष्मीनाथ पल्सेज प्लॉट नंबर मिसल नंबर 32, ग्राम सुजानदेसर, बीकानेर, राजस्थान – 334004 में स्थित 2. तुलसी राम गहलोत माता जी मंदिर के पास, बाबा रामदेव रोड, सुजानदेसर, बीकानेर, राजस्थान –334004 3. मनीषा गहलोत बाबा रामदेव रोड, माता जी मंदिर के पास, ग्राम। सुजानदेसर, बीकानेर, राजस्थान –334004 ऋण खाता संख्या –4721905 ऋण राशि रु. 12101795.53/– (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख एक हजार सात सौ पंचानबे तथा तिरपन पैसे मात्र), 11–12–2023 तक तथा वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय लागत एवं प्रभार आदि सहित।	प्लॉट (मिसल संख्या 32) पर संपत्ति का समस्त भाग, ग्राम सुजानदेसर बीकानेर में स्थित, माप 21000 वर्ग फीट, तुलसी राम के नाम पर पंजीकृत। संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर–रोड, दक्षिण – सेवा राम की भूमि, पूर्व – रोड, पश्चिम – नाथाराम का घर।	1) ई–नीलामी तिथिः 27.03.2025, 10.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप. तक, 5 मिनट के अतिरिक्त विस्तार सहित 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 26.03.2026 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथिः 24.03.2026 – समयः 12.00 बजे अप. से 01.00 बजे अप. तक	आरक्षित मूल्य (रुपये में): रु.– 1 ,1,13,58,080 /– (रुपये एक करोड़ तेरह लाख अट्ठावन हजार अस्सी मात्र) ईएमडी राशि (रुपये में): रु.– 11,35,808/– (रुपये ग्यारह लाख पैंतीस हजार आठ सौ आठ मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें। **ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें** (1) यह नीलामी वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com/ द्वारा 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को ''ऑन लाइन ई नीलामी'' बोली होगी। (2) इच्छुक संविदाकार वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com/ (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com/ के साथ नाम के पंजीकरण द्वारा निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) पर अपने लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से ज.ध.रा. जमा करेंगे। ज.ध.रा. उपर्युक्त खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय होगी। वेबपोर्टल में संविदाकारों द्वारा पंजीकरण (एक बारगी) के पश्चात, इच्छुक क्रेताओं/संविदाकारों को संविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब–पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी–(i) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान या डिमाण्ड ड्राफ्ट की प्रति, (ii) पैन कार्ड की प्रति, (iii) पहचान/पते का प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट आदि की स्वप्रमाणित प्रति, जिसके बिना संविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करने के उपरान्त परिशिष्ट II एवं III (जिसे वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड किया जा सकता है) की स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड करना अपेक्षित है। इच्छुक संविदाकार जो लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई–संविदा प्रक्रिया आदि का प्रशिक्षण लेने में सहायता चाहते हैं वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुरुग्राम–122003, हरियाणा, ईमेल आईडीः विनोद चौहान/ delhi@c1india.com 9813887931, तथा सम्पत्ति सम्बन्धी पूछताछ के लिए अधिकृत प्राधिकारी : नवदीप चावला : ई–मेल आईडी : lm.jaipur@hdbfs.com, तथा श्री विशाल रितपुरकर; मोबाइल नं. : 9833671006 ई–मेल आईडी : vishal.ritpurkar@hdbfs.com से सोमवार से शनिवार तक कार्य घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। (3) इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) ''एचडीबी फाइनांसिल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय पीएआर/चंडीगढ़ में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड– HDFC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://www.bankeauctions.com/ पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगाः 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई–कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा। (4) बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय, पीएआर/चंडीगढ़ में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड–HDFC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा। (5) विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदीता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी। (6) जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। (7) सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो पीएआर/चंडीगढ़ में देय हो अथवा "HDBFS GENERAL COLLNS", खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड–HDFC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के ही साथ बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चूक करते हैं तो जमा की गई ईएमडी या 10% बिक्री मूल्य, जैसा भी मामला हो, जब्त कर ली जायेगी। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाणपत्र'' जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज, कान्वीयन्स, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा। (9) यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण से अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत स्वीकृत/एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाया देयताओं जैसे बकाया पानी/ बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता को किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकाये, यदि कोई हो/ करों/ नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/एजेन्सी के उपयोगिता बिलों तथा स्टाम्प शुल्क/ बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी खर्चे का वहन करना होगा। (11) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें इंटर–से–बिडिंग की अनुमति अपनी इच्छा से देने का अधिकार प्राप्त है। (12) सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में कंपनी को कंपनी को छोड़कर बेची जा रही संपत्ति पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं देती है अथवा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। (13) आगे, उसकी वास्तविक वसूली तक लागू होने वाले, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों जो देय एवं बकाया हो, की वसूली की जाएगी। (14) एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/ मार्टगैजर(रों) को सूचित किया जाता है कि बिक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/ खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं। (15) वेबसाइट पर प्रस्ताव/निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन–लाइन ई–नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ देखें। ऑन लाइन बोली संगठन की उक्त वेबसाइट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती है अथवा एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। संलग्नकों के साथ (यूटीआर नंबर उल्लेख करते हुए) ऑन लाइन जमा की गई बोली प्रपत्र की प्रति श्री नवदीप चावला, मोबाईल नं. 8949298906 के पास एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, पताः– ई–145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी–स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 में ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में या उससे पूर्व जमा की जा सकती है (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरणों को देखें।) (16) संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता कंपनी के चार्जेज के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण के संपत्ति पर अधिभारों, चार्ज तथा सांविधिक बकायों के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व टाईटल, विस्तार, गुणवत्ता, संपत्ति की मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के दावे, संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों अथवा किसी अन्य किसी मामले पर ऑन लाइन बोली जमा करने के बाद तथा किसी भी चरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह कंपनी क्षतियों अथवा एविक्शन कार्रवाई आदि सहित किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता को इस संदर्भ में टेनेन्ट्स के साथ ही साथ कम्पनी की क्षति की पूर्ति भी करनी होगी। क्रेता केवल कानून के अनुसार ही टेनेन्ट्स/सेटलमेंट के एविक्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यह कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत की सेवा में विश्वास रखती है। (17) यह प्रकाशन इस सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं खर्चे के साथ अपनी संपूर्ण देयताएं निष्पादित करने तथा उपरोक्त बकाए राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2), 8 (6) एवं नियम 9 के अनुपालन में उपरोक्त ऋण खाता के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों के लिए 15 (पंद्रह) दिवसीय सूचना भी है जिसमें असफल रहने पर उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाएगी। यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर तरजीह दी जाएगी तथा विसंगति दूर करने के लिए उसे निर्णायक कॉपी माना जाएगा। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारन्टर कंपनी की बकाया देयता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी।
अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री नवदीप चावला से मोबाईल नं. 8949298906 पर संपर्क करें।

स्थानः राजस्थान दिनांक : 12.03.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड